भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4966

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों के लिए परिवहन सुविधा

4966. डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों द्वारा अपने उत्पाद के सर्वोत्तम मूल्य की प्राप्ति के लिए मुख्य बाजारों में अपने उत्पाद को ले जाने हेतु किसानों हेतु उत्तर बंगाल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) किसान अपने उत्पादों को अधिकतम लाभ हेतु उन्हें मुख्य बाजार में आसानी से ले जा सकें, इस हेतु सरकार द्वारा खोजे जा रहे विकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का देश में जलपाईगुडी और उत्तर बंगाल सहित देशभर के किसानों की आय को दोगुना करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 'खेत से मंडी संपर्क सड़क निर्माण' के तहत उत्पादक फार्मों के साथ विभिन्न मंडियों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण को बढ़ावा दिया है। यह भी सूचित किया गया है कि राज्य की 22 विनियमित मंडी समितियां भी मंडियों तक जोड़ने वाली विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए अपनी निधियों का उपयोग कर रही हैं। वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक 622 किलो मीटर लम्बी 311 मंडी संपर्क सड़कों का निर्माण 12770.00 लाख रूपये के आवंटन के साथ किया गया है।

मानवचालित वैन रिक्शा खरीदने के लिए लाभार्थियों को 10000 रूपये की दर पर राजसहायता प्रदान की जाती है जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए खेत से मंडियों तक कृषि उपज को ले जाने में मदद मिलती है। दी गई सूचना के अनुसार कुल 31215 लाभार्थियों ने पिछले 3 वर्षों (वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक) में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और राज्य निधि से राजसहायता प्राप्त की है।

(ख): कई सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत किसानों की उपज सहजता से मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए परिवहन सुविधाओं हेतु सहायता उपलब्ध है। कुछ योजनाएं जिसके तहत सहायता इस प्रकार से उपलब्ध है:

i कृषि विपणन अवसंरचना, समेकित कृषि विपणन अवसंरचना की उप-योजना के तहत ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता जांच, रीफर वैन आदि सहित फसलोपरांत प्रचालनों के लिए चल अवसंरचनाएं सहायता के लिए स्वीकार्य है।

ii एएमआई योजना के तहत परिवहन वाहन के रूप में रेफ्रीजेरेटेड वैन, समेकित मूल्य श्रृंखला (आईवीसी) परियोजनाओं के लिए सब्सिडी सहायता के लिए पात्र है।

iii समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के तहत रीफर वैन के लिए राजसहायता उपलब्ध है।

(ग): सरकार जलपाईगुडी और उत्तर बंगाल सहित पूरे देश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई उपाय कर रही है जिसके लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना ताकि उर्वरकों का ईष्टतम उपयोग किया जा सके।

ii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग, आदान लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है

iv. जोखिम कम करने के लिए किसानों द्वारा किए गए कम प्रीमियम योगदान के साथ फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए मौसम से एक फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा

योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है, जिससे यह योजना विशेष मामलों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।

v. "हर मेढ़ पर पेड़" के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

vi. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

vii. किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए ऑनलाईन पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धा बोली प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) की शुरूआत की गई है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)' का अनुमोदन किया है जिसका उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन।

xi. पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन।

xii. मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, इनलैंड और समुद्री मत्स्यिकी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

xiii. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत तक कम हो जाती है।

xiv. सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है और बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xv. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान ऋण कार्ड रखने वाले छोटे किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xvi. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xvii. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना में उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को प्रत्येक 04 माह के अंतराल पर 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान किया जाता है।

*****